कार्यालय अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आदेशॉक–वा0क0अधि0/यु0पीठ निरस्त/ /2023 दि0 लखनऊः 22 दिसम्बर, 2023

–:: संशोधित आदेश ::–

मुख्यालय के आदेशॉक 1519/2023 दिनांक 30–11–2023 के द्वारा जनपद बरेली में युगलपीठ का गठन **दिनांक 08–01–2024 से 11–01–2024** तक करते हुए, युगलपीठ के सदस्य के रूप में न्यायिक सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ– गोरखपुर एवं सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ–मुरादाबाद को नामित किया गया था।

माह दिसम्बर 2023 के प्रथम सप्ताह में बरेली पीठ में दौरान युगलपीठ मेरे द्वारा कार्यालय भवन के अवलोकनोपरान्त पाया गया कि बरेली स्थित कार्यालय भवन अत्यन्त जीर्ण–शीर्ण अवस्था में है। अद्यतन स्थिति में उक्त भवन व न्यायालय कक्ष में युगलपीठ का संचालन उचित नहीं है।

अतः उपरोक्त अपरिहार्य परिस्थितियों में सम्यक रूप से विचार करते हुए पूर्व निर्गत उक्त आदेश सं0 1519/2023 दिनांक 30–11–2023 को आंशिक रूप में संशोधित करते हुए जनपद–बरेली में **दिनांक 08–01–2024 से 11–01–2024** तक गठित युगलपीठ तत्काल प्रभाव से निरस्त की जाती है।

तदनुसार सम्बन्धित कार्यालय/अधिकारियों को सूचित किया जाये।

ह0–22–12–2023,
(रणधीर सिंह)
एच0जे0एस0
अध्यक्ष,वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन संख्या–वा0क0अधि0/यु0पी0 निरस्त/1617/2023 दिनांक ::यथोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कर्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, बरेली पीठ– बरेली।

2– सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ–गोरखपुर/पीठ–मुरादाबाद।

3– मुन्सरिम/पेशकार/वरिष्ठ सहायक (यात्राभत्ता)/विवरण/कम्प्यूटर/वेव अधिकारी /नाजिर, मुख्यालय।

4– संबंधित अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष/सचिव द्वारा पीठासीन अधिकारी।

आज्ञा से,

निबंधक,
वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।